

**कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा (छ.ग.)**

क्रमांक/डी.एम.एफ./2024/

548

कोरबा, दिनांक16.01.2025

//जिला खनिज न्यास मद से नियुक्ति हेतु विज्ञापन //

कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा, जिला कोरबा छ.ग. के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 250105825406, कोरबा, दिनांक 10.01.2025 के अनुसार जिले के स्वास्थ्य संस्थाओं में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष की कमी को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के जिला खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-


क्र	पदनाम	कुल रिक्तियां	वर्ग											
			अजजा			अजा			अपिव			अनारक्षित		
			मुक्त	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	भू.पू.सै.	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष	76	27	03	02	07	00	01	09	01	00	22	02	02

शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यता:-

- (1) जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- (2) प्रशिक्षण केन्द्र से बहुदेशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 01 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण, जिसे शासन द्वारा मान्यता दी गई हो, उत्तीर्ण होना चाहिए, एवं
- (3) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकृत होना चाहिये।

नियम एवं शर्तें :-

01. उपरोक्त विज्ञापित में दर्शित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध में अभ्यर्थियों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। आवश्यकतानुसार चयन प्रक्रिया में संशोधन/निरस्तीकरण किया जा सकेगा।
02. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच की जावेगी तथा पात्र-अपात्र की सूची जारी होने के पश्चात् दस्तावेज प्रथम दावा-आपत्ति के अंतिम तिथि तक स्वीकार किये जायेंगे।
03. छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी ही उद्भूत रिक्तियों हेतु पात्र होंगे।
04. छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
05. अजा/अजजा/अपिव के आवेदकों को जाति की पुष्टि में प्राधिकृत अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
06. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सामान्य मेरिट सूची में से भर्ती की कार्यवाही की जावेगी।



136.

07. दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3, नवा रायपुर, दिनांक 18.01.2024 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग. शासन) द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगे।
08. नियुक्ति सामान्यतः 01 वर्ष या संविदा/सीधी भर्ती द्वारा पद की पूर्ति तक अथवा स्थानांतरण द्वारा पद की पूर्ति होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए होगी। इसमें किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया जावेगा। यह नियोजन स्वतः समाप्त मानी जावेगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं नियुक्त व्यक्ति के उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
09. उपरोक्त नियुक्ति में मासिक एकमुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा।
10. नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना किसी सूचना दिये कभी भी समाप्त की जा सकती है।
11. संविदा नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्त शासकीय सेवक के रूप में जितनी भी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ कर्मचारी की पात्रता नहीं होगी।
12. आयु संबंधी छूट के लिए तद्व्यतिरिक्त प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची की स्व-प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल में कलेक्टर दर/संविदा/दैनिक वेतनभोगी/तद्व्यतिरिक्त नियुक्ति/अन्य आकस्मिक निधि में कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव का अंक प्रदान किया जावेगा। बशर्ते आवेदक द्वारा जिस पद पर आवेदन किया है उसी पद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रति पूर्ण वर्ष हेतु अनुभव के 03 अंक प्रदान किये जाएंगे। अनुभव के अधिकतम 15 अंक निर्धारित हैं। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन जारीकर्ता अधिकारी से करवाया जावेगा।
15. छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल के आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07.12.2021 एवं संशोधन आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.02.2023 में उल्लेखित प्रावधानानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा। नियुक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। कोविड बोनस अंक हेतु जारी प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

 13/1

16. रिक्त पदों पर चयन हेतु मेरिट सूची निम्नानुसार तैयार किया जावेगा :-

क्र	पदनाम	मानदेय (प्रतिमाह एकमुश्त)	प्रादीप्य सूची हेतु अंको की गणना	
1	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष	14000.00	बहुदेशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 01 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण, जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो,	85 प्रतिशत
			ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के पद में कार्य करने का अनुभव अंक (03 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 15 अंक)	15 अंक
			कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस	10 अंक

टीप:- कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक दिया जाना है। सामान्य स्थिति में संविदा कर्मचारियों को अनुभव का 15 अंक दिया जाना है। किसी कर्मचारी के पास उस पद पर कार्य करने का अनुभव एवं कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव, दोनों होने पर अनुभव का अंक एवं बोनस का अंक मिलाकर अधिकतम 15 अंक ही दिया जावेगा।

- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
- भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20-4/2014/आ.प्र./1-3, नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार संगत दिव्यांगता/ निःशक्तता के कम से कम 40 प्रतिशत रूप से ग्रस्त व्यक्ति ही आरक्षण के लाभ हेतु पात्र होंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष हेतु OL (एक पैर) OA (एक हाथ), दिव्यांग/निःशक्तजन ही पात्र होंगे। जो व्यक्ति आरक्षण लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता/निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र/तकनीकी दक्षता/आयु संबंधी छूट हेतु दस्तावेज एवं विज्ञापन में चाहे गये अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- विज्ञापित पदों हेतु वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
- अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा, इस संबंध में आवेदक को किसी प्रकार से सूचना नहीं दी जावेगी, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- आवेदक द्वारा आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम (Name of Post) जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है एवं संवर्ग (Category) स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जावेगा। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा जावे।



186

24. विज्ञापित पदों पर योग्यतानुसार आवेदन उपलब्ध नहीं होने की दशा में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
25. प्रतीक्षा सूची जारी करने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी। भविष्य में उक्त पदों के आलावा अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होने पर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा।
26. चयनित अभ्यर्थियों को उपस्थिति के समय जिला चिकित्सा बोर्ड से शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी का पुलिस वेरीफिकेशन (चरित्र सत्यापन) नियोक्ता द्वारा कराया जायेगा।
27. चयन उपरान्त यदि कोई जानकारी असत्य/कूटरचित पाई जाती है, तो संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
28. चयन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की विवाद पर अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार विभाग/चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
29. आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रजगामार रोड़ कोरबा, जिला कोरबा, पि.न. 495677 में निर्धारित अंतिम तिथि 31.01.2025... शायं 5:00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करेंगे। अंतिम तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
30. उक्त विज्ञापित पदों हेतु भविष्य में जारी आवश्यक दिशा-निर्देश/सूचना का प्रकाशन जिले के वेबसाईट www.korba.gov.in में किया जावेगा। अतः अभ्यर्थी समाचार पत्रों, जिले के वेबसाईट www.korba.gov.in एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा के नोटिस बोर्ड का सतत अवलोकन करते रहेंगे। कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जाएगी।

13h
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा छ.ग.

कोरबा, दिनांक 16.01.2025

पृ.क्रमांक/डी.एम.एफ./2024/
प्रतिलिपि :-

549

01. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग., स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. कलेक्टर, जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें बिलासपुर, संभाग बिलासपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
04. जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ।
05. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र कोरबा की ओर विज्ञापन जिले के शासकीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अप्रेषित।

13h
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा छ.ग.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]